फौज. नियमित प्रकरण सं. 23/364/23
सरकार बनाम लालचंद वगै.
पीठासीन अधिकारीः- पुरूषोत्तम मिश्रा, (आर.जे.एस.)
निर्णय दिनांकः- 06.08.2026

अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-05, अलवर

पीठासीन अधिकारी **पुरूषोत्तम मिश्रा, आर.जे.एस.**

फौज. प्रकरण सं. **23/364/23**

सीआईएस नंबर **5290/2020**

सीएनआर नंबर RJAL020032232020

राजस्थान राज्य

--- अभियोजन

बनाम

1. लालचंद पुत्र श्री चिंरजीलाल
2. सलाउदीन पुत्र श्री बने खां उर्फ अंग्रेज
3. अकरम खान पुत्र श्री अली मोहम्मद समस्त निवासीयान बैलाका थाना एनईबी, अलवर **(दिनांक 04.06.2025 को मफरूर घोषित)**

--- अभियुक्तगण

अपराध धारा 457, 380 आईपीसी

उपस्थितिः-

1. अभियोजन की ओर से	सहायक अभियोजन अधिकारी
2. अभियुक्त संख्या 01 की ओर से 3. अभियुक्त संख्या 02 की ओर से	अधिवक्ता श्री जितेश गागल अस्सिटेंट लीगल एंड काउंसिल अधिवक्ता श्री आमीन खां

--निर्णय-- **दिनांक- 06.08.2026**

1) प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी रोहिताश ने दिनांक 24.02.2020 को थाना एनईबी, अलवर में उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत कि दिनांक 23.02.2020 को उसके घर में तीन चोर घुस आए और उसके घर में घुसकर घर का सामान रसोई में से एक गैस सिलेण्डर एचपी कंपनी का व एक छोटा बैग, जिसमें 5,000/- नकद व बैंक पास बुक, पैन कार्ड आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड रखे थे, चोरी करके ले गए। जाग होने पर उन्हें पकड़ लिया व तीनों चोर उसके ही गांव के निकले, जिनका नाम लालचंद पुत्र श्री चिरंजीलाल जाटव, अकरम पुत्र श्री

अली मोहम्मद व सलाउदीन पुत्र श्री अंग्रेज निवासीयान ग्राम बेलाका आदि है। तीनों को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है, इत्यादि।

2) उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना एनईबी, अलवर में एफआईआर संख्या 107/2020 अंतर्गत धारा 457, 380 आईपीसी के तहत दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण लालचंद, सलाउदीन व अकरम के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 आईपीसी के तहत न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

3) न्यायालय द्वारा उक्त आरोपीगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 आईपीसी के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व अभियुक्तगण को धारा 457, 380 आईपीसी का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया तो अभियुक्तगण ने उपरोक्त आरोपों से इन्कार कर अंवीक्षा चाही, जिस पर अन्वीक्षा प्रारंभ की गई।

4) दौराने विचारण अभियुक्त अकरम के अनुपस्थित रहने के कारण उसे दिनांक 04.06.2025 को मफरूर घोषित किया गया। इस प्रकार प्रकरण में विचारण मात्र अभियुक्तगण लालचंद व सलाउदीन के विरूद्ध जारी रखा गया।

5) मामले में अभियोग को सिद्ध करने हेतु अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू. 01 लगायत पी.डब्ल्यू. 07 के बयान लेखबद्ध करवाए गए व दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर प्रदर्श पी-01 लगायत पी-18 व आर्टिकल 01 लगायत आर्टिकल 06 प्रदर्शित करवाए गए। दौराने साक्ष्य अभियोजन अभियुक्तगण की ओर से प्रदर्श डी-01 प्रदर्शित करवाया गया।

6) बाद अभियोजन साक्ष्य अभियुक्तगण के बयान धारा 313 सीआरपीसी के लेखबद्ध किए गए, जिसमें अभियुक्तगण ने उसके विरूद्ध अभियोजन साक्ष्य को गलत व झूठा बताते हुए स्वयं की ओर से कोई भी अपराध कारित नहीं किए जाने के कथन किए। अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर साक्ष्य सफाई समाप्त की गई।

7) बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिए कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया

जाकर उचित दण्ड से दंडित किया जावे।

8) वहीं अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता के तर्क रहे हैं कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध लेशमात्र भी आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अभियुक्तगण के कब्जे से आरोपित सामान की जप्ती लेशमात्र भी प्रमाणित नहीं हुई है। अभियोजन साक्षियों के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। अभियोजन की ओर से कोई भी स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं हुआ है। प्रकरण में अभियुक्तगण को पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते झूठा संल्पित किया गया है। फलस्वरूप आरोपीगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

9) पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का परिशीलन किया गया। चूंकि प्रकरण में अन्य सहअभियुक्त अकरम मफरूर है। ऐसे में यह निर्णय मात्र अभियुक्तगण लालचंद व सलाउदीन की हद तक ही पारित किया जा रहा है।

10) प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैः-

1. क्या अभियुक्तगण लालचंद व सलाउदीन ने दिनांक 23.02.2020 की रात्रि में स्थान बेलाका स्थित परिवादी रोहिताश के मकान में चोरी करने के आशय से रात्रि प्रच्छन्न गृहअतिचार कारित किया व परिवादी के घर में घुसकर घर का सामान रसोई में से एक गैस सिलेण्डर एचपी कंपनी का व एक छोटा बैग जिसमें 5,000/- रूपये नकद व बैंक पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि चोरी करके ले गए?

2. यदि हॉ, तो उचित दण्ड क्या होगा?

11) उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण पर जो आरोप है वह उनके द्वारा आक्षेपित दिनांक, समय व स्थान पर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार करते हुए चोरी कारित करने के आरोप है। अभियोजन यह आरोप किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की अखण्डित साक्ष्य से अथवा अभियुक्तगण के कब्जे से आरोपित रूप से चोरी हुए सामान की संदेहातीत बरामदगी के आधार पर सिद्ध कर सकता है।

12) उपरोक्त विधिक स्थिति का ध्यान में रखते हुए साक्ष्य अभियोजन का अवलोकन करें, तो स्पष्ट होता है कि हस्तगत प्रकरण परिवादी रोहिताश कुमार की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-16 पर पंजीबद्ध हुआ है।

परिवादी रोहिताश ने न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू. 03 के तौर पर परीक्षित होकर तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-16 में अंकित कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्यतः कथन किए है कि दिनांक 23.02.2020 के रात्रि समय लगभग 9 बजे वह अपने घर पर था। उसे छत पर कोई आवाज सुनाई दी और जब उसने कुन्दी खोलकर देखा तो एक व्यक्ति भागता हुआ नजर आया। जब उसने देखा तो उसके हाथ में एक सिलेण्डर और एक हैण्डबैग था। उसके बाद उसने चोर-चोर करके हल्ला मचाया तो आसपास के लोग बाहर आए। उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसका नाम लालचंद था, जिसको उसने पहचान लिया। वह उसके ही गांव का था। लालचंद से पूछने पर उसने अन्य व्यक्ति का नाम सलाउदीन उर्फ सल्ला बताया। बैग में आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आईडी व बैंक पासबुक थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी-16 उसने स्वयं पंजीबद्ध करवाई थी। दौराने गवाह साक्ष्य प्रकरण में जप्तशुदा माल प्रस्तुत अदालत हुआ, जिस पर आर्टिकल 01 लगायत आर्टिकल 06 प्रदर्शित किए गए।

13) जिरह में गवाह के कथन रहे है कि उसने घटना के समय न्यायालय में मौजूद आर्टिकल 05 थैला मुल्जिम लालचंद के हाथ में देखा था, लेकिन उसने लालचंद से उक्त थैला व उसमें रखा हुआ सामान नहीं लिया। मुल्जिम लालचंद को घर से 100-200 मीटर दूर पकड़ा था। अन्य व्यक्ति, जो लालचंद के साथ थे, उसको उसने मौके पर घटना के समय नहीं पहचाना। उसका नाम उसे तो लालचंद ने बताया था। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकारा है कि उसने और गांववालों ने मुल्जिमान को मौके पर नहीं पकड़ा था और ना ही मौके पर सुपुर्द किया था। फिर कहा कि एक को मौके पर पकड़ा था। थैले व सिलेण्डर की लिखा-पढ़ी की कार्यवाही मौके पर घटना के समय पुलिस ने की थी लेकिन पुलिस ने उसके हस्ताक्षर सुबह कराए थे। रात को घटना के समय सभी मुल्जिमान अपने-अपने घर चले गए फिर सुबह पंचायत ने मुल्जिमान को बुलाया था, जो सामान उसने घटना के समय लालचंद के पास देखा था, उस सामान को लालचंद घर ले गया या नहीं उसे जानकारी नहीं है। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उक्त रिपोर्ट उसने झूठी दर्ज करवाई हो। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकारा है कि उसने सिलेण्डर के कोई कागजात पुलिस को नहीं दिए।

14) वहीं अन्य हालात गवाह पी.डब्ल्यू. 02 की साक्ष्य का अवलोकन करे तो गवाह ने मुख्यतः कथन किए है कि साक्ष्य दिवस से करीब दो-तीन साल पहले रोहिताश के घर में चोरी हुई थी। लालचंद, जो कि उनके गांव का है रोहिताश के घर से सिलेण्डर चोरी करके ले जा रहा था और सामान क्या था वो उन्होंने नहीं देखा। लालचंद के साथ दो आदमी और थे। उन गांव वालों ने उनको वही पकड़ लिया फिर उन्होंने उनसे नाम पूछा और पुलिस के हवाले कर दिया। जिरह में गवाह के कथन रहे है कि वह घटना के दिन पोली में सो रहा था, जो घटना वाले स्थान से लगभग 50 मीटर दूर है। वह हल्ला मचने पर आया था। जब वह मौके पर आया 10-20 लोग वहां मौजूद थे। जब वह मौके पर पहुंचा मुल्जिमान और घर वाले घर के पीछे थे। पुलिस सिलेण्डर को रात में ही उठा ले गई थी। सिलेण्डर रोहिताश ने थाने पर पेश किया था और सारा गांव रोहिताश के साथ गया था। उसने मुल्जिमान को घर से सामान निकालते नहीं देखा।

15) अतः इस प्रकार प्रकरण में परिवादी व हालात गवाह/चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यू. 03 व 02 की साक्ष्य का अवलोकन करे तो स्पष्ट होता है कि पी.डब्ल्यू. 03 ने हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण लालचंद व सालउदीन के संबंध में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। गवाह पी.डब्ल्यू. 03 के यह अखण्डित कथन रहे है कि घटना वाले दिन रात्रि को उसने स्वयं ने उसके घर से एक व्यक्ति को भागते हुए देखा, जिसके हाथ में एक सिलेण्डर व एक हैण्ड बैग था, जिसे उन्होंने पकड़ लिया था, जिसका नाम लालचंद था, जो गवाह के ही गांव का होने के कारण से वह उसे जानता था। वही पर अन्य व्यक्ति का नाम अभियुक्त लालचंद द्वारा सलाउदीन बताया गया। उक्त तथ्य की पुष्टि अन्य हालात गवाह/चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यू. 02 ने भी की है तथा यह अखण्डित कथन किए है कि लालचंद के साथ दो आदमी और थे उन गांव वालों ने उनको वही पकड़ लिया फिर उन्होंने उनसे नाम पूछा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस प्रकार उपरोक्त गवाहान का घटना के तुरंत पश्चात मौके के पास में ही अभियुक्तगण लालचंद व सलाउदीन को मय आरोपित चोरीशुदा माल के साथ पकड़े जाने, उन्हें स्वयं के गांव का होने के कारण से पहचाने जाने व पुलिस को सुपुर्द किए जाने का तथ्य धारा 7 व 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत एक सुसंगत तथ्य है, जिसे गवाहान ने बिना

किसी संदेह के प्रमाणित किया है।

16) हालांकि पी.डब्ल्यू. 03 ने अपनी जिरह में यह तो कथन किए है कि लालचंद के साथ जो अन्य दो व्यक्ति थे, उनको उसने मौके पर घटना के समय नहीं पहचाना था, परंतु उक्त गवाह के आगे यह भी अखण्डित कथन रहे है कि उनके द्वारा लालचंद को पकड़े जाने पर लालचंद ने ही अन्य व्यक्ति का नाम सलाउदीन उन्हें बताया था।

17) इसके अतिरिक्त हालांकि गवाह ने इस सुझाव को स्वीकारा है कि उसने व गांव वालों ने मुल्जिमान को मौके पर नहीं पकड़ा था और ना ही मौके पर सुपुर्द किया था, परंतु गवाह ने फिर यह भी कथन किए है कि एक को मौके पर पकड़ा था। वह एक व्यक्ति लालचंद ही रहा है, इस तथ्य को लेकर गवाह अपने बयानों में पूर्ण रूप से स्थिर है। इस संदर्भ में गवाह ने जिरह में भी यही कथन किए है कि उसने घटना के समय न्यायालय में मौजूद आर्टिकल 05 थैला मुल्जिम लालचंद के हाथ में देखा था।

18) इसके अतिरिक्त न्यायालय के मत में गवाह का मौके पर मुल्जिमान को नहीं पकड़े जाने व ना ही मौके पर सुपुर्द किए जाने वाले कथनों में *"मौके"* से गवाह का तात्पर्य प्रदर्श पी-01 में दर्शित गवाह के मकान वाले मौके से रहना प्रकट हुआ है, क्योंकि गवाह ने अपनी जिरह में मुल्जिम लालचंद को घर से 100-200 मीटर दूरी पर पकड़े जाने के अखण्डित कथन किए है। अतः गवाह का मौके पर मुल्जिम को नहीं पकड़े जाने के कथन का तात्पर्य यह नहीं है कि अभियुक्त लालचंद व सलाउदीन ने आरोपित अपराध कारित नहीं किया हो। अपितु गवाह के कथनों से यही दर्शित हुआ है कि चोरी किए जाने के पश्चात उन्होंने गांव वालों की सहायता से परिवादी के घर से करीब 100-200 मीटर दूर मुल्जिमान को पकड़ा लिया था। उल्लेखनीय है कि गवाह ने मुल्जिमान को पकड़े जाने पर पुलिस को सुपुर्द किए जाने के कथन किए है, जिस तथ्य की पुष्टि अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 01 ने भी अपनी जिरह में करते हुए इस सुझाव को स्वीकारा है कि परिवादी ने रिपोर्ट के समय आरोपियों को सुपुर्द कर दिया था। अतः इस प्रकार गवाह द्वारा मौके पर मुल्जिमान को नहीं पकड़े जाने के कथन विरोधाभास की श्रेणी में नहीं आता है तथा गवाह की विश्वसनीयता में कोई संदेह उत्पन्न नहीं करवाता है।

19) वहीं हालात गवाह/चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यू. 02 ने भी उक्त गवाह

पी.डब्ल्यू. 03 की ही भांति यह अखण्डित कथन किए है कि लालचंद के साथ दो आदमी और थे। उन गांव वालों ने उनको वही पकड़ लिया फिर उन्होंने उनसे नाम पूछा और पुलिस के हवाले कर दिया। अतः इस प्रकार पी.डब्ल्यू. 03 व 02 की साक्ष्य अभियुक्तगण लालचंद व सलाउदीन द्वारा परिवादी के घर प्रदर्श पी-01 में रात्रि के समय घुसकर आरोपित जप्तशुदा सामान की चोरी किए जाने के तथ्य को प्रमाणित करती है।

20) यहां अधिवक्ता अभियुक्तगण का एक तर्क यह रहा है कि प्रकरण में जप्ती कार्यवाही को लेकर घोर संदिग्धताएं दर्शित हुई है, क्योंकि जहां पी.डब्ल्यू. 02 ने पुलिस द्वारा सिलेण्डर को रात में ही उठा ले जाने तथा सिलेण्डर रोहिताश के द्वारा थाने पर पेश किए जाने के कथन किए है। वहीं परिवादी पी.डब्ल्यू. 03 ने भी थैले व सिलेण्डर की लिखा-पढ़ी की कार्यवाही मौके पर घटना के समय पुलिस द्वारा की जाने के कथन किए है। अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क रहा है कि यदि मौके पर आरोपित चोरीशुदा सामान की कार्यवाही किया जाना परिवादी व हालात गवाह की साक्ष्य से दृष्टिगत होता है तो वहां जप्तीकर्ता/अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 01 द्वारा गिरफ्तारशुदा आरोपीगण की इत्तला के अनुसरण में माल की बरामदगी दिनांक 26.02.2020 को अर्थात् घटना के दो दिन पश्चात होना नहीं माना जा सकता है। अतः इस प्रकार अधिवक्ता तर्क के अनुसार जप्ती की कार्यवाही मात्र औपचारिकताओं से भरी हुई है, जिसका वास्तविकताओं से संबंध नहीं है, ऐसी स्थिति में जप्ती के संदिग्ध होने का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए।

21) उक्त तर्क के संबंध में न्यायालय का मत है कि निश्चित तौर पर प्रकरण में जप्ती कार्यवाही को लेकर संदिग्धताएं दर्शित हुई है, क्योंकि सर्वप्रथम जहां स्वयं परिवादी व हालात गवाह ने मौके पर ही पुलिस द्वारा सिलेण्डर को रात्रि को ही उठा ले जाने तथा सिलेण्डर रोहितश स्वयं द्वारा थाने में पेश करने व थैले व सिलेण्डर की लिखा-पढ़ी की कार्यवाही मौके पर ही किए जाने के कथन किए है, वहां जप्तीकर्ता/अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 01 तथा अन्य जप्ती गवाहान पी.डब्ल्यू. 04 व 05 द्वारा प्रकरण दर्ज होने के पश्चात अभियुक्तगण की गिरफ्तारी दिनांक 24.02.2020 को करते हुए उनकी आरोपित इत्तिलाओं प्रदर्श पी-05 व पी-06 के अनुसरण में

प्रदर्श पी-09 व पी-11 वाले स्थान पर प्रदर्श पी-08 व पी-10 फर्द जप्ती सिलेण्डर व हैण्ड बैग दिनांक 26.02.2020 अर्थात् घटना के दो दिन पश्चात होने में संदेह उत्पन्न होता है। न्यायालय के मत में पी.डब्ल्यू. 02 व 03 की साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि आरोपित चोरी की घटना के पश्चात परिवादी व गांव के व्यक्तियों द्वारा मौके पर ही अभियुक्तगण को संबंधित थाने को सुपुर्द कर दिया गया था तथा आरोपित चोरीशुदा माल की कार्यवाही संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा मौके पर ही कर दी गई थी। ऐसे में अभियुक्तगण की इत्तिलाओं पर पश्चातवर्ती क्रम में प्रदर्श पी-08 व पी-10 जप्ती के प्रमाणन में संदेह उत्पन्न हुआ है। साथ ही उक्त जप्ती कार्यवाही की पुष्टि करने हेतु कोई भी स्वतंत्र गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित नहीं हुआ है। अतः ऐसे में न्यायालय के मत में उक्त जप्ती कार्यवाही निश्चित तौर पर संदिग्ध दर्शित रही है।

22) परंतु न्यायालय का यह भी मत है कि मात्र जप्ती कार्यवाही संदिग्ध हो जाने के कारण से प्रकरण में पी.डब्ल्यू. 02 व 03 की साक्ष्य, जिन्होंने अभियुक्तगण को आरोपित घटना कारित करते हुए अर्थात् आरोपित चोरी कर भागते हुए देखे जाने व उन्हें मौके पर मय माल पकड़े जाने तथा उन्हें परिवादी के ही गांव का होने के कारण से पहचाने जाने की अखण्डित साक्ष्य गौण नहीं हो जाती है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह भी है कि स्वयं मुल्जिमान ने अपने चार्ज व बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी में अपना निवास स्थल बैलाका गांव अर्थात परिवादी के ही गांव का होना बताया है, जो कि परिवादी व हालात गवाह के यह बयान कि, मुल्जिमान का उन्हीं के गांव के होने से वे उन्हें जानते थे, के कथनों को और भी बल प्रदान करते है। न्यायालय के मत में जहां पी.डब्ल्यू. 02 व 03 की साक्ष्य अभियुक्तगण द्वारा आरोपित चोरी कारित करने के संबंध में पूर्णतया अखण्डित रही है, वहां मात्र अनुसंधान की विसंगतियां अभियोजन कहानी को दूषित नहीं कर सकती है।

23) इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत C. Muniappan and Others vs. State of Tamil Nadu, 2010 (9) SCC 567 में यह अभिनिर्धारित किया है कि "There may be highly defective investigation in a case. However, it is to be examined as to whether there is any lapse by the IO and whether due to such lapse any

benefit should be given to the accused. The law on this issue is well settled that the defect in the investigation by itself cannot be a ground for acquittal. If primacy is given to such designed or negligent investigations or to the omissions or lapses by perfunctory investigation, the faith and confidence of the people in the criminal justice administration would be eroded. Where there has been negligence on the part of the investigating agency or omissions, etc. which resulted in defective investigation, there is a legal obligation on the part of the court to examine the prosecution evidence dehors such lapses, carefully, to find out whether the said evidence is reliable or not and to what extent it is reliable and as to whether such lapses affected the object of finding out the truth. Therefore, the investigation is not the solitary area for judicial scrutiny in a criminal trial. The conclusion of the trial in the case cannot be allowed to depend solely on the probity of investigation."

24) अतः इस प्रकार यदि अनुसंधान अधिकारी की ओर से प्रकरण में अनुसंधान के संबंध में भारी कमियां रही भी है तो भी पी.डब्ल्यू. 03 व 02 की अखण्डित साक्ष्य को देखते हुए अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में निर्मुक्त नहीं किया जा सकता है।

25) इसके अतिरिक्त यह भी गौरतलब है कि जब परिवादी पी.डब्ल्यू. 03 व हालात साक्षी पी.डब्ल्यू. 02 द्वारा मौके पर अभियुक्त को मय चोरी माल देखा जाना प्रमाणित हुआ है, वहां अभियुक्तगण पर यह भार स्थांतरित हो गया था कि वह स्वयं के कब्जे में पाए गए उक्त सिलेण्डर व हैण्ड बैग के संबंध में कोई व्याख्या प्रस्तुत करते, परंतु ऐसी कोई व्याख्या और ना ही कोई खण्डन स्वरूप साक्ष्य अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत की गई है। ऐसे में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अपराध कारित करने की उपधारणा भी सृजित हुई है, जिस उपधारणा को खण्डित करने में अभियुक्तगण पूर्णतयाः असफल रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में जप्ती कार्यवाही में रही विसंगतियां के उपरांत भी पी.डब्ल्यू. 02 व 03 की साक्ष्य को देखते हुए अभियुक्तगण की आरोपित अपराध में दोषसिद्धि प्रमाणित होती है। फलतः अधिवक्ता अभियुक्तगण का उक्त तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

26) अतः इस प्रकार समस्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण

लालचंद व सलाउदीन ने दिनांक 23.02.2020 की रात्रि में स्थान बेलाका स्थित परिवादी रोहिताश के मकान में चोरी करने के आशय से रात्रि प्रच्छन्न गृहअतिचार कारित किया व परिवादी के घर में घुसकर घर का सामान रसोई में से एक गैस सिलेण्डर एचपी कंपनी का व एक छोटा बैग जिसमें 5,000/- रूपये नकद व बैंक पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि चोरी करके ले गए।

27) फलतः अभियुक्तगण अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किए जाने योग्य है।

--आदेश--

28) परिणामस्वरूप अभियुक्तगण 1. लालचंद पुत्र श्री चिंरजीलाल व 2. सलाउदीन पुत्र श्री बने खां उर्फ अंग्रेज समस्त निवासीयान बैलाका थाना एनईबी, अलवर को अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 आईपीसी में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

सजा के प्रश्न पर सुना गया

29) विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण परिवार में अकेले खाने-कमाने वाले पुरूष सदस्य है, पूरा परिवार अभियुक्तगण पर आश्रित है, अभियुक्तगण को कड़ी सजा दिए जाने पर उसके भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ा जावे। अभियोजन अधिकारी ने इसका विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण अदातन अपराधी है। अतः उचित दण्ड से दण्डित किया जावे।

30) सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वर्तमान में घर में घुसकर/सूने घरों में चोरी की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के आपराधिक रिकॉर्ड प्रदर्श पी-14 प्रदर्शित करवाया गया है, जिसमें अभियुक्तगण के वृहद आपराधिक रिकॉर्ड होना दर्शित हुए है, ऐसे में अभियुक्तगण के आदतन अपराधी होने के तथ्य को इन्कार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के मत में यदि उपरोक्त स्थिति के उपरांत भी उक्त प्रकार के अपराधों में नरमी का रूख अपनाया जाता है तो समाज में विधि का शासन (rule of law) पर प्रश्न चिह्न उठता है व अराजकता की

स्थिति पैदा होती है तथा सामान्य जन में अपनी माल के प्रति असुरक्षा का भाव भी उत्पन्न होता है तथा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में विधि का भय समाप्त होता है, जिसका समाज पर विपरीत असर पडेगा। फलस्वरूप अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जाकर निम्न प्रकार से दण्डादेश पारित किया जाता हैः-

--दण्डादेश--

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	अपराध अंतर्गत धारा	सजा की अवधि व प्रकृति	जुर्माना	अदम अदायगी अर्थदण्ड
1.	लालचंद पुत्र श्री चिरंजीलाल	457 भा.द.सं.	03 साल का कठोर कारावास	1,000/- (अक्षरे एक हजार रूपये)	01 माह का साधारण कारावास मूल सजा के अतिरिक्त
		380 भा.द.सं.	03 साल का कठोर कारावास	1,000/- (अक्षरे एक हजार रूपये)	01 माह का साधारण कारावास मूल सजा के अतिरिक्त
2.	सलाउदीन पुत्र श्री बने खां उर्फ अंग्रेज	457 भा.द.सं.	03 साल का कठोर कारावास	1,000/- (अक्षरे एक हजार रूपये)	01 माह का साधारण कारावास मूल सजा के अतिरिक्त
		380 भा.द.सं.	03 साल का कठोर कारावास	1,000/- (अक्षरे एक हजार रूपये)	01 माह का साधारण कारावास मूल सजा के अतिरिक्त

31) समस्त मूल सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

32) अभियुक्तगण द्वारा पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गई अवधि नियमानुसार तहत धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मूल सजा में से समायोजित की जावे। अभियुक्तगण का सजा वारण्ट

नियमानुसार बनाया जावे।

33) अभियुक्तगण को निर्णय की निःशुल्क नकल तुरंत दी दिलाई जावे।

34) प्रकरण में सहअभियुक्त अकरम मफरूर है। अतः पत्रावली के सरवरक पर लाल स्याही से इस आशय का नोट अंकित किया जावे कि पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे।

(पुरूषोत्तम मिश्रा)
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त
मुख्य न्यायिक मजि. संख्या-05, अलवर

35) निर्णय आज दिनांक **06.08.2026** को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम मिश्रा)
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त
मुख्य न्यायिक मजि. संख्या-05, अलवर

संलग्न- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत MANOJBHAI JETHABHAI PARMAR (ROHIT) vs STATE OF GUJARAT CRIMINAL APPEAL NO(S). 2973 of 2023 दिनांकित 15.12.2025 के अनुक्रम में **परिशिष्ट-01**

फौज. नियमित प्रकरण सं. 23/364/23
सरकार बनाम लालचंद वगै.
पीठासीन अधिकारीः- पुरूषोत्तम मिश्रा, (आर.जे.एस.)
निर्णय दिनांकः- 06.08.2026

परिशिष्ट-01

Chart for Witnesses Examined

अभियोजन साक्षी संख्या	गवाह का नाम	गवाह का विवरण
पी.डब्ल्यू.-01	भूषण कुमार	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू.-02	किशनलाल	हालात गवाह/चक्षुदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू.-03	रोहिताश कुमार	परिवादी
पी.डब्ल्यू.-04	प्रेम सिंह	फर्द नक्शामौका बरामदगी व फर्द जप्ती
पी.डब्ल्यू.-05	समुन्द्र सिंह	फर्द नक्शामौका बरामदगी व फर्द जप्ती
पी.डब्ल्यू.-06	दुलीचंद	मालखाना इंचार्ज
पी.डब्ल्यू.-07	पांचूराम	चाक एफआईआरकर्ता

Chart for Exhibited Documents

प्रदर्श संख्या	प्रदर्शित दस्तावेजों का विवरण	प्रमाणित/अनुप्रमाणित करने वाले साक्षी
प्रदर्श पी-01	फर्द नक्शामौका घटनास्थल	पी.डब्ल्यू. 01 व 03
प्रदर्श पी-02	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुल्जिम लालचंद	पी.डब्ल्यू. 01 व 03
प्रदर्श पी-03	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुल्जिम सलाउदीन	पी.डब्ल्यू. 01 व 03
प्रदर्श पी-04	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुल्जिम अकरम	पी.डब्ल्यू. 01 व 03
प्रदर्श पी-05	फर्द इत्तला 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम मुल. लालचंद	पी.डब्ल्यू. 01
प्रदर्श पी-06	फर्द इत्तला 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम मुल. सलाउदीन	पी.डब्ल्यू. 01
प्रदर्श पी-07	फर्द इत्तला 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम मुल. अकरम	पी.डब्ल्यू. 01
प्रदर्श पी-08	फर्द जप्ती सिलेण्डर	पी.डब्ल्यू. 01, 04 व 05
प्रदर्श पी-09	फर्द नक्शामौका बरामदगी	पी.डब्ल्यू. 01, 04 व 05

	लालचंद का मकान	
प्रदर्श पी-10	फर्द जप्ती हैण्ड बैग व पेन कार्ड रोहिताश	पी.डब्ल्यू. 01, 04 व 05
प्रदर्श पी-11	फर्द नक्शामौका बरामदगी मकान सलाउदीन	पी.डब्ल्यू. 01, 04 व 05
प्रदर्श पी-12	फर्द जप्ती पास बुक, आधार कार्ड, वोटर आईडी	पी.डब्ल्यू. 01, 04 व 05
प्रदर्श पी-13	फर्द नक्शामौका बरामदगी अकरम	पी.डब्ल्यू. 01, 04 व 05
प्रदर्श पी-14	आपराधिक रिकॉर्ड मुल्जिमान	पी.डब्ल्यू. 01
प्रदर्श पी-15	लालचंद का चोट प्रतिवेदन	पी.डब्ल्यू. 01
प्रदर्श पी-16	तहरीरी रिपोर्ट	पी.डब्ल्यू. 03 व 07
प्रदर्श पी-17	चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी.डब्ल्यू. 03 व 07
प्रदर्श पी-18	मालखाना रजि. की प्रमाणित प्रति	पी.डब्ल्यू. 06
प्रदर्श डी-01	गवाह रोहिताश के बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी	पी.डब्ल्यू. 01 व 03

Chart for Material Objects/Muddamals

माल/वस्तुओं की संख्या	प्रदर्शों का विवरण	प्रमाणित/अनुप्रमाणित करने वाले साक्षी
आर्टिकल 01	बैंक पासबुक (रोहिताश)	पी.डब्ल्यू. 03
आर्टिकल 02	आधार कार्ड (रोहिताश)	पी.डब्ल्यू. 03
आर्टिकल 03	वोटर आईडी (रोहिताश)	पी.डब्ल्यू. 03
आर्टिकल 04	पैन कार्ड (रोहिताश)	पी.डब्ल्यू. 03
आर्टिकल 05	बैग पर चस्पा चिट	पी.डब्ल्यू. 03
आर्टिकल 06	नीला बैग	पी.डब्ल्यू. 03

नोटः उक्त निर्णय/आदेश मात्र जानकारी के लिए है। अधिक स्पष्टता हेतु न्यायालय से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करे।